ऑन लाईन नं.RCMS2023/226

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 77/2023

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुरजीत कुमार पुत्र श्री रोहिताश राम —खाद्यकारोबारकर्ता —
मै0 कल्पना डेयरी, वृद्ध आश्रम रोड, गर्ग मार्ट के पास, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 20.12.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हेतराम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन कमांकः–प.5(01)चि.स्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 09.03.2023 के गजट में प्रकाशित हुआ है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–आयुक्ता0/ खासुऔनि/संस्था/2023/900 दिनांक 29.03.2023 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.05.2023 को समय दोपहर 12.15 बजे **मै0 कल्पना डेयरी, वृद्ध आश्रम रोड, गर्ग मार्ट के पास, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता **श्री सुरजीत कुमार पुत्र श्री रोहिताश राम** को अपना परिचय देकर दुकान डीफ्रीजर में रखे **दूध** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को विक्रेता बताया तथा दुकान में रखे डीपफ्रीज के अन्दर रखे **दूध 35 लीटर** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **गाय का दूध** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **गाय का दूध** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **गाय का दूध** को एक रूप कर 2 लीटर साफ स्टील के बर्तन में विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **गाय का दूध** का नगद भुगतान 100/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सुरजीत कुमार पुत्र श्री रोहिताश राम** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता **श्री सुरजीत कुमार पुत्र श्री रोहिताश राम** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय का दूध** 2 लीटर को हिला–मिला कर बराबर भागों में बांटकर 4 साफ–सुथरे सूखें डिब्बों में ले कर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक Firmilin की 40 बूंदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद किये व 4 डिब्बों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1821** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1821** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सुरजीत कुमार पुत्र श्री रोहिताश राम** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S.808/Act/2023/808 Dated 09-06-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1821 Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री सुरजीत कुमार पुत्र श्री रोहिताश राम मै0 कल्पना डेयरी, वृद्ध आश्रम रोड, गर्ग मार्ट के पास, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **गाय का दूध** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि परिवाद की मद संख्या 1 जिस प्रकार से वर्णित है, स्वीकार नहीं है। परिवाद द्वारा अप्रार्थी को इस प्रकार का कोई आदेश न तो दिखाया गया और ना ही कोई जानकारी दी गई। परिवाद की मद सं. 2 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा दूध का वितरण सुबह 10 बजे तक कर दिया जाता है, उसके बाद अप्रार्थी के पास दूध नहीं बचता है, परिवादी द्वारा दिनांक 30.05.2023 को समय दोपहर 12.15 पीएम पर अप्रार्थी की डेयरी का निरीक्षण किया गया था, उस सयम अप्रार्थी द्वारा अवारा कुत्तों के पिल्लों को पिलाने के लिए दूध रखा हुआ था, जिसमें कुछ पानी मिलाया गया था, उसमें से परिवादी द्वारा सैंपल लिया गया था। अप्रार्थी गावों से दूध क्रय करके लाता है और उसी स्थिति में दूध विक्रय कर देता है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की दूध में मिलावट नहीं की जाती और न ही परिवादी द्वारा फार्म नं. 5ए भरकर अप्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाए गए, बल्कि परिवादी द्वारा खाली कागजों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाए गए थे तथा अप्रार्थी की डेयरी पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए थे। परिवाद की मद सं. 3 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त दूध विक्रय के लिए नहीं रखा था तथा ना ही परिवादी द्वारा उक्त दूध अप्रार्थी से खरीदा किया गया था, बल्कि कुत्तों के पिल्लों के लिए रखे गए दूध में से सैम्पल लिया गया था। परिवाद की मद सं4 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, परिवादी द्वारा अप्रार्थी को फार्म नं. 5ए न तो पढकर सुनाया गया और ना ही उस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवाद की मद सं0 5 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा कुत्तों के पिलों के लिए रखे गए दूध का सैंपल लिया गया था, जिसके बारे में अप्रार्थी द्वारा परिवादी को बता दिया गया था, जिसके बावजूद परिवादी द्वारा उक्त दूध का सैंपल ले लिया। परिवादी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई बल्कि अप्रार्थी पर झूठे व बेबुनियाद आरोप लगाकर परिवाद पेश किया गया है। परिवाद की मद सं0 6 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा विधि अनुसार व अधिनियम की पालना न करते हुए उक्त कार्यवाही की है, क्योंकि उक्त अप्रार्थी द्वारा विक्रय करने के लिए नहीं रखा गया था, परिवादी को सूचित करने के बावजूद भी परिवादी द्वारा जबरन दूध का सैंपल ले लिया गया। अप्राथी जिस स्थित में दूध क्रय करता है, उसी स्थिमि में दूध विक्रय कर देता है। परिवाद की मद सं. 7 में वर्णित कानूनी है, जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। परिवाद की मद सं0 8 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है, क्योंकि परिवाद द्वारा जिस दूध का सैंपल लिय गया था, वह विक्रय के लिए नहीं था। परिवाद की मद सं0 9 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा अप्रार्थी को दूसरी लैब से नमूने की जांच करवाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। परिवाद की मद सं. 10 वर्णित कथन कानूनी है, जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। परिवाद की मद सं. 11 वर्णित कथन कानूनी है, जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। परिवाद की मद सं0 12 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा कभी भी मिलावटी दूध का विक्रय नहीं किया गया है। अप्रार्थी जिस स्थिति में गांवों से दूध क्रय करता है, उसकी स्थिति में दूध विक्रय कर देता है। अप्रार्थी द्वारा आज तक कभी भी दूध में मिलावट नहीं की गई है। परिवादी द्वारा रंजिशवश उक्त कार्यवाही अप्रार्थी के विरूद्ध की गई है। अतः जवाब परिवाद पेश कर निवेदन है कि परिवाद सव्यय खारिज फर्माया जावे।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का दूध** का सैम्पल **K-1821** जांच रिपोर्ट क्रमांक :– L.S.808/Act/2023/808 Dated 09-06-2023 द्वारा **Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा कभी भी मिलावटी दूध का विक्रय नहीं किया गया है। अप्रार्थी जिस स्थिति में गांवों से दूध क्रय करता है, उसकी स्थिति में दूध विक्रय कर देता है। अप्रार्थी द्वारा आज तक कभी भी दूध में मिलावट नहीं की गई है। परिवादी द्वारा रंजिशवश उक्त कार्यवाही अप्रार्थी के विरूद्ध की गई है। अतः जवाब परिवाद पेश कर निवेदन है कि परिवाद सव्यय खारिज फर्माया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Cow Milk " bearing Code No and Sr. No. K-1821, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations,2001.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **श्री सुरजीत कुमार पुत्र श्री रोहिताश राम** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री सुरजीत कुमार पुत्र श्री रोहिताश राम** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000–00 (अखरे रूपये पंद्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर